फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

वागाराम बनाम खेमाराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं 324/19 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.10.2019	प्रार्थी की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम मौजा जोधोणी सारणों की ढाणी पटवार मण्डल खारड़ाभारतसिंह तहसील गिड़ा में आई हुई है। प्रार्थी वकील के कथनानुसार विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जे एवं काश्त की भूमि में एवं विप्रार्थी मौके पर आवागमन बाधित कर रहा है एवं कब्जे काश्त में हस्तक्षेप एवं बाधा कारित करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 06.11.2019 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा जोधोणी सारणों की ढाणी पटवार मण्डल खारड़ाभारतसिंह तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 38 रकबा 29.04 बीघा की भूमि में प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं हक हिस्से में विप्रार्थीगण किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे न ही हस्तक्षेप एवं बाधा कारित करें। वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक उभय पक्षकारान् पाबन्द रहे। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 06.11.2019 को पेश हों। (हस्ताक्षर) 7.10.2019 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.25 13:27:20 IST
Reason: SelfAttested

6/11/19 प्रार्थी वकील उप०/ तथा प्रार्थी व विप्रार्थी सं. 4 व 5 स्वयं उप०/ शेष विप्रार्थीगणों की रसीद पुनः प्राप्त नहीं हुई है/ इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 30/12/2019 को पेश हो/

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (SDO) जायल

30/12/19 प्रार्थी वकील उप०/ विप्रार्थीगण अनु०/ श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश के पश्चात हुए हैं/ अतः मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 06/1/2020 को पेश होवे ''

6/1/2020 प्रार्थी वकील उप०/ विप्रार्थीगण के नोटिस जरिये रजिस्ट्री भिजवाये गये जिनको करीब 2 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है/ बावजूद इसके प्रतिवादीगण अनु०/ न्यायालय समय में तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ, लिहाजा विप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल लाई जाती है/ अतः पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 18/2/2020 को पेश हो

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (SDO) जायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.25 13:27:20 IST
Reason: SelfAttested

	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/2/2020	प्रार्थी तर्फेल उप/प्रार्थी वकील ने एकपक्षीय बहस सुनी गई, लिहाजा प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी अस्थाई स्थगन आदेश दिनांक 07/10/2019 को ताफैसला बाद कन्फर्म किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो/ [signature] 8/2/2020 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.25 13:27:20 IST
Reason: SelfAttested